न्यायालय सिविल जज (जू0डि0),मुजफफरनगर।

CNR No. UPMZ060023602022

विविध वाद संख्या 215 सन 2022

मान सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि।

03.11.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. पेश हुआ। आख्या का अवलोकन किया। प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज हो।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 3ग अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. योजित करते हुए कथन किया गया है कि वादीगण ने विवादित सम्पत्ति जिसकी तफशील वाद पत्र के अन्त में दी गयी है जो गाटा संख्या 958 ग्राम घनश्यामपुरा मजरा समोली परगना तहसील मुजफ्फरनगर देवस्थल की भूमि है तथा आस पास आबादी है तथा उसमें तीन कमरे और बरामदा, भूमिया का निर्माण कर रखा है तथा पीपल का पेड भी खडा है तथा वहां पर कभी कोई पंचायतघर नहीं रहा है तथा पंचायतघर गाटा संख्या 191 पर चिन्हित है। परन्तु प्रतिवादी नं0 1 जबरदस्ती देवस्थल की सम्पत्ति पर निर्माण ध्वस्त करके उस पर ग्राम सचिवालय का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित है तथा प्रतिवादी नं0 2 बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये विवादित सम्पत्ति पर नाजायज कब्जा करने की फिराक में है। विधिनुसार सरकार के विरूद्ध वाद लाये जाने की स्थिति में सरकार को अन्तर्गत धारा 80 सी0पी0सी0 में दो माह का नोटिस प्रेषित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/वादी ने विपक्षी उ0प्र0 सरकार को दिनांक 18.10.2022 को अन्तर्गत धारा 80 पी0सी0सी0 में द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस प्रेषित किया है जो कि दो माह की अवधि का है। मामला त्वरित प्रकृति है तथा वादी को शीघ्र सुनवाई का संवैधानिक अधिकार है। प्रार्थी ने यह भी कथन किया है कि प्रार्थी को 2 माह के नोटिस की छूट प्रदान की जाए। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है व आज न्यायालय में उपस्थित है।

सुना व गहनता से विचार किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी0पी0सी0 के तहत प्रार्थी द्वारा बतलाया गया है कि गाटा संख्या 958 ग्राम घनश्यामपुरा मजरा समोली परगना तहसील मुजफ्फरनगर देवस्थल की भूमि है। उसमें तीन कमरे और बरामदा, भूमिया का निर्माण कर रखा है तथा पीपल का पेड भी खडा है तथा वहां पर कभी कोई पंचायतघर नहीं रहा है तथा पंचायतघर गाटा संख्या 191 पर चिन्हित है। परन्तु प्रतिवादी नं0 1 जबरदस्ती देवस्थल की सम्पत्ति पर निर्माण ध्वस्त करके उस पर ग्राम सचिवालय का निर्माण करना चाहते हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को पक्षकार बनाया गया है। तथा ऐसी स्थिति में अगर दो माह के नोटिस की छूट प्रदान नहीं की जाती है ऐसे में वाद दायर करने की मंशा समाप्त हो व वादी को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80(2) सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को 80 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दो माह पूर्व नोटिस देने की अनिवार्यता से मुक्त करते हुए विपक्षीगण के विरूद्ध वाद योजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मूलवाद, बाद मुंसरिम आख्या दिनांक 04.11.2022 को पेश को।

प्र0 सिविल जज (जू0डि0)
मुजफ्फरनगर।